प्रेस नोट (थाना चौक, कमिश्नरेट वाराणसी)

मु0अ0सं0 77/2021 धारा 342/304 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी

1. सम्बन्धित थाने का नाम- **थाना चौक, कमिश्नरेट वाराणसी**
2. मु0अ0सं0- **0077/2021 धारा 342/304 भा0द0वि0**
3. घटना दिनांक- **अदम तहरीर**
4. सूचना दिनांक- **12.09.2021 समय 03.12 बजे**
5. घटना स्थल का विधिवत विवरण- **सीके 60/29ए-2 स्थित द्वितीय तल, कर्णघण्टा, थाना चौक, वाराणसी**
6. सूचनाकर्ता/वादी का नाम व पता- श्री अशरफ अली पुत्र स्व0 ताहिर अली निवासी ए 33/60 ओमकालेश्वर थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी
7. गिरफ्तार अभियुक्त- 1.कलीम पुत्र स्व0 फेकू उर्फ इरफान अहमद नि0 D 39/25A कोदई चौकी थाना दशाश्वमेध जनपद वाराणसी, दुकान का पता सीके 60/29 A-2 कर्णघण्टा थाना चौक वाराणसी उम्र 38 वर्ष, 2.गोविन्द सेठ पुत्र प्रेमचन्द सेठ नि0 S 16/55 कादीपुर थाना शिवपुर जिला वाराणसी व दुकान का पता सीके 60/29 A-2 कर्णघण्टा थाना चौक वाराणसी उम्र 25 वर्ष, 3.राहुल सेठ पुत्र बच्चे लाल नि0 N 11/99 A-1-K रानीपुर महमूरगंज थाना भेलूपुर जिला वाराणसी उम्र 28 वर्ष दुकान का पता आशीष कटरा बाबा मिष्ठान के सामने वाली गली रेशम कटरा थाना चौक वाराणसी, 4.सचिन सहदेव उर्फ बाबी पुत्र नरेन्द्र सिंह नि0 D 54/77 जद्दूमण्डी थाना लक्सा जनपद वाराणसी हाल पता D 61/18 A-2 सिद्धगिरी बाग नियर डा0 बी0 चटर्जी थाना सिगरा वाराणसी उम्र 41 वर्ष दुकान का पता सीके 60/29 A-2 कर्णघण्टा थाना चौक वाराणसी
8. गिरफ्तारी का दिनांक व समय: **14.09.2021 समय 20.15 बजे**
9. गिरफ्तारी स्थल- **जालपा देवी तिराहे के पास, थाना चौक, वाराणसी ।**
10. माल बरामदगी का विवरण – निल
11. गिरफ्तारी टीम- **1.उ0नि0 स्वतन्त्र सिंह चौकी प्रभारी काशीपुरा, उ0नि0 सौरभ पाण्डेय चौकी प्रभारी दालमण्डी, उ0नि0 प्रकाश सिंह चौकी प्रभारी ब्रह्मनाल व आरक्षी रामबाबू मिश्रा, आरक्षी प्रदुम्न पाल थाना चौक, जनपद वाराणसी**
12. **घटना का विवरण- दिनांक 11/09/2021 को सायं 5:00 बजे कर्णघंटा स्थित कटरे में गोविंद नामक सर्राफा व्यवसायी ने अपना सोना सफाई करने हेतु कलीम को दिया जिसका वजन लगभग 300 ग्राम था। कलीम ने अपने कारीगर सलमान को सोने की सफाई हेतु उपरोक्त सोने को दिया। जिसे सलमान को छत्तातले लेकर जाना था। कलीम से सोना लेकर सलमान कलीम के दुकान से छत्तातले के लिए चला परंतु सलमान को रास्ते में ही 02 अज्ञात लोग मिले जो सलमान को बहला-फुसला कर कन्हैया स्वर्ण अलंकार के पास (बुलानाला चौराहे के निकट) से उपरोक्त सोना ले लिए तथा टप्पेबाजी करते हुए गलियों के अन्दर से भाग निकले। इसके बाद सलमान ने लौटकर कलीम को इस संबंध में बताया तो कलीम को लगा कि सलमान द्वारा बदनियती से**

सोने को गायब कर दिया गया है। इसके बाद कलीम ने अपने दुकान पर ही अपने साथियों के साथ सलमान से मार-पीट करते हुए, कड़ाई से पूछताछ किया तथा सलमान के बताने पर कन्हैया स्वर्ण अलंकार के पास अपने यहाँ के अन्य कर्मचारी साबिर तथा स्वर्ण व्यवसायी गोविंद व अन्य साथियों के साथ खोजबीन के क्रम में कन्हैया स्वर्ण अलंकार तक पहुँचा भी परन्तु सलमान की बातों पर कलीम को विश्वास नही हुआ। इसके बाद कलीम द्वारा सलमान को पुनः अपनी दुकान पर लाकर सलमान के घर वालों के उपस्थिति में ही अपने अन्य साथियों के साथ इतनी बूरी तरीके से मार –पीट किया कि सलमान की हालत खराब हो गयी। सलमान की हालत खराब होने के बाद कलीम, सलमान के घर वालों के साथ सलमान को कबीर चौरा अस्पताल ले गया परन्तु वहाँ पर सलमान की हालत गम्भीर बताते हुए बीएचयू के लिए रेफर कर दिया गया, रास्ते में ही सलमान की मृत्यु हो गयी । सलमान की मृत्यु होने के उपरान्त कलीम व उसके साथी फरार हो गये ।

श्रीमान् अपर पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त काशी जोन, अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन व एसीपी दशाश्वमेध के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक चौक द्वारा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम के रुप में उ0नि0 स्वतन्त्र सिंह, उ0नि0 प्रकाश सिंह व उ0नि0 सौरभ पाण्डेय को आरक्षीगण के साथ लगाया गया। जिसके क्रम में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी दिनांक 14/09/2021 को स्थान जालपा देवी चौराहे के पास से समय 8:15 PM पर की गई। सलमान के पिता अशरफ की तहरीर पर टप्पेबाजों के भी विरुद्ध मु. अ. सं. -84/21 धारा 420 भा. द. वि. थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत कर थाना कोतवाली व थाना चौक की टीम द्वारा संयुक्त प्रयास करते हुए टप्पे बाजो की गिरफ्तारी एवं सोने की बरामदगी हेतु प्रयास अनवरत जारी है।

13. गिरफ्तार अभियुक्तगण की फोटो

15. अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है।

प्रभारी निरीक्षक
थाना चौक
कमिश्नरेट वाराणसी